

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक:— वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup>—13/2007 —

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार, (ले. एवं ह.), बिहार  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना

विषय:— विभागान्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर (बेला) के परिसर में नवनिर्मित महिला छात्रावास के नजदीक तालाब की घेराबन्दी कार्य के लिए रु. 1,58,147=00 (एक लाख अठावन हजार एक सौ सैंतालीस रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

आदेश— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—8096(भ), दिनांक 04.08.2015 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विभागान्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर (बेला) के परिसर में नवनिर्मित महिला छात्रावास के नजदीक तालाब की घेराबन्दी कार्य के लिए रु. 1,58,147=00 (एक लाख अठावन हजार एक सौ सैंतालीस रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजना व्यय आय-व्ययक के "मुख्यशीर्ष— 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष —80—सामान्य, लघुशीर्ष—051—निर्माण, मांग संख्या—3, उपशीर्ष—0117— इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनों (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड— P 4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पटना भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर होंगे।

5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी।

6. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या— 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक— 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार उक्त राशि के निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ —

(ओम प्रकाश राय)

सरकार के अपर सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup>-13/2007 -

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/पित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup>-13/2007 -

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup>-13/2007 -

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup>-13/2007 -

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup>-13/2007 -

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर को तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup>-13/2007 -

3043

/पटना, दिनांक

31.12.015

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

दुपल



3/12/15



सरकार के अपर सचिव

